

**मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक का समामेलन
प्रभावी दिनांक 01.05.2025 के संबंध में ग्राहकों संबंधी FAQ (प्रश्नोत्तर)**

प्रश्न सं. 01 – यह समामेलन किसके द्वारा किया जा रहा है?

उत्तर : यह समामेलन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह समामेलन भारत सरकार की प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण बैंक (One State One RRB) करने की योजना का हिस्सा है।

प्रश्न सं. 02 – One State One RRB योजना क्या है?

उत्तर : यह योजना एक राज्य में सिर्फ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रखने की है, जिससे बैंकिंग सेवाएं बेहतर, सरल और एक समान हो सकें।

प्रश्न सं. 03 – भारत सरकार द्वारा यह समामेलन क्यों किया जा रहा है?

उत्तर : भारत सरकार द्वारा उक्त समामेलन ग्रामीण बैंकिंग को मजबूत बनाये जाने, ग्रामीण ग्राहकों को बेहतर वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता और संचालन में दक्षता एवं सुधार लाये जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार किये जाने इत्यादि के उद्देश्यों से किया जा रहा है। यह समामेलन ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा।

प्रश्न सं. 04 – क्या यह कार्य मध्य प्रदेश राज्य में ही किया जा रहा है या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के समामेलन को किया जा रहा है?

उत्तर : भारत सरकार की One State One RRB योजना ऐसे राज्यों हेतु लागू की गई है जहां एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इस योजना के लागू होने से देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जायेगी।

प्रश्न सं. 05 – इस बैंक में पूर्व में हिस्सेदारी किसकी थी और अब किसकी रहेगी?

उत्तर : समामेलन पूर्व मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक बैंक ऑफ इंडिया था जिसकी हिस्सेदारी बैंक में 35% तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 50% तथा 15% थी। इसी प्रकार मध्यांचल ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जिसकी हिस्सेदारी बैंक में 35% तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 50% तथा 15% थी।

समामेलन पश्चात नवगठित "मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" का प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया रहेगा जिसकी हिस्सेदारी बैंक में 35% तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 50% तथा 15% रहेगी।

प्रश्न सं. 06 – क्या समामेलन पश्चात बैंक की कुछ शाखाएं बंद हो जाएगी?

उत्तर : नहीं, समामेलन पश्चात बैंक की शाखाएं बंद नहीं होगी। नवगठित "मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" की अपनी समस्त 1320 शाखाओं के साथ सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राहकों को बेहतर एवं सुगम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता रहेगा।

प्रश्न सं. 07 – समामेलन पश्चात नवगठित "मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" की कितनी शाखाएं हो जावेगी?

उत्तर : मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की 866 शाखा तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक की 454 शाखाओं के साथ समामेलन पश्चात नवगठित "मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" की कुल कितनी 1320 शाखाएं हो जायेगी।



प्रश्न सं. 08 — इस समामेलन से ग्राहकों को फायदा होगा या नुकसान?

उत्तर : इस समामेलन से ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा अपितु ग्राहकों को समामेलन से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

- मध्य प्रदेश में एक ही ग्रामीण बैंक की सेवाएं
- सुगम एवं त्वरित ऋण (Loan) प्रक्रिया
- शिकायतों का जल्दी समाधान
- शाखाओं और ATM का बड़ा नेटवर्क
- वित्तीय समावेशन सेवाओं की ग्राहकों तक पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार।

प्रश्न सं. 09 — ग्राहकों के जमा राशि पर इस समामेलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मुझे खाता फिर से खोलना होगा?

उत्तर : नहीं, ग्राहकों की जमा राशि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के समस्त मौजूदा खातों वैसे ही संचालित होते रहेंगे जैसे पूर्व में संचालित थे। पूर्व से संचालित खाता संख्या, पासबुक, चेकबुक सभी वैध रहेंगे। भविष्य में कोई बदलाव होगा तो बैंक द्वारा आपको सूचित किया जायेगा।

प्रश्न सं. 10 — क्या उक्त समामेलन उपरांत मेरा खाता नम्बर बदल जायेगा?

उत्तर : नहीं, अभी तत्काल रूप से आपकी खाता संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य में सीबीएस संबंधी आवश्यकता से यदि कोई परिवर्तन होता है, तो ग्राहकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जायेगा एवं ग्राहकों को वर्तमान खाता नम्बर से खाता संचालन में कोई समस्या नहीं आयेगी।

प्रश्न सं. 11 — ग्राहकों द्वारा जो बैंक से ऋण लिया गया है उसकी अदायगी किस प्रकार से की जावेगी क्या इस पर समामेलन का मेरी EMI पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर : नहीं, ग्राहकों के ऋण खातों पर समामेलन का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के समस्त ऋण खाते तथा उसमें लागू शर्तें, पुर्नभुगतान समय-सीमा इत्यादि वैसे ही रहेंगे जैसे पूर्व में थे। पूर्व की तरह ही ग्राहक अपने ऋण की अदायगी कर सकेंगे।

प्रश्न सं. 12 — पूर्व में ग्राहकों को जो सेवाएं मिल रही थी उसमें इस समामेलन पश्चात क्या परिवर्तन आयेगा ?

उत्तर : नहीं, सभी सेवाएं पहले की तरह ही सुगम रहेंगी तथा हमारा प्रयास बेहतरी के लिये होगा।

प्रश्न सं. 13 — डिजिटल सेवाओं में क्या बदलाव होगा?

उत्तर : सभी ग्राहकों को एक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेंगे एवं इसमें बढ़ोत्तरी के प्रयास किये जावेंगे।

प्रश्न सं. 14 — क्या गांवों में सेवाओं पर कोई असर होगा?

उत्तर : नहीं, ग्रामीण शाखाएं, बीसी पाइंट तथा बैंक सखी इत्यादि पहले की तरह काम करते रहेंगे। साथ ही सेवाओं में और भी मजबूती का प्रयास रहेगा।



प्रश्न सं. 15 – क्या भविष्य में चेकबुक या कार्ड बदलने होंगे?

उत्तर : बैंक के ग्राहकों को तत्काल में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार की किसी भी आवश्यकता की स्थिति में बैंक द्वारा ग्राहकों को पृथक से सूचित किया जावेगा एवं ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

प्रश्न सं. 16 – इस योजना से ग्राहकों का समय और पैसा कैसे बचेगा?

उत्तर : मध्य प्रदेश में एक ही ग्रामीण बैंक होने के कारण ग्राहकों द्वारा CBS के माध्यम से किसी भी शाखा द्वारा वित्तीय लेनेदेन किया जा सकेगा, लेन-देन त्वरित और सुरक्षित होगा। एक जैसी स्कीम और दरों से निर्णय लेना आसान होगा।

प्रश्न सं. 17 – क्या मेरे ऋण एवं जमा राशि संबंधी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन होगा?

उत्तर : नहीं, इस प्रकार की कोई समस्या का सामना ग्राहकों को नहीं करना होगा।

प्रश्न सं. 18 – क्या मुझे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी एवं डीबीटी हेतु नए प्रकार से आवेदन करना होगा? क्या मुझे अपना आधार फिर से लिंक कराना होगा?

उत्तर : नहीं, ग्राहकों को प्राप्त होने वाली सुविधायें यथावत जारी रहेंगी। ग्राहकों को फिर से आधार लिंक कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न सं. 19 – बैंक के माध्यम से मेरे द्वारा प्राप्त की गई PMSBY, PMJJBY एवं PMAY यथावत जारी रहेंगे या मुझे फिर से आवेदन करना होगा।

उत्तर : नहीं, ग्राहकों को प्राप्त होने वाली उक्त सुविधायें पूर्व की भांति यथावत जारी रहेंगी।

प्रश्न सं. 20 – बैंक द्वारा प्रभारित किये जाने वाले शुल्कों में कोई परिवर्तन आयेगा? मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा?

उत्तर : ग्राहकों को इस संबंध में कोई समस्या नहीं आयेगी। कोई भी शुल्क/प्रभार परिवर्तित किये जाने के एक माह पूर्व समस्त ग्राहकों को सूचित किया जायेगा।

प्रश्न सं. 21 – मेरे पास मध्यांचल ग्रामीण बैंक की सावधि एवं आवर्ती जमा रसीद है, क्या मुझे नई बैंक के नाम से फिर से रसीद/पासबुक जारी करानी पड़ेगी?

उत्तर : नहीं, आपको अपनी सावधि/आवर्ती अथवा अन्य जमा के संबंध में कोई परिवर्तन कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके समस्त जमा खाते यथावत जारी रहेंगे।

प्रश्न सं. 22 – अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मैं कहां संपर्क करूँ?

उत्तर : आप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक द्वारा ग्राहक सेवा नंबर जारी किया गया है। साथ ही ग्राहक बैंक की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रश्न सं. 23 – बैंक के समय में कोई परिवर्तन होगा ?

उत्तर : नहीं, शाखाओं के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बैंकिंग समय पूर्व की भांति ही रहेगा।

